


बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

सी०डब्लू०जे०सी० नं०-19008/2015 में दिनांक 12.01.2016 को पारित आदेश के अनुपालन में विधि विभाग से प्राप्त सहमति के आलोक में इस कार्यालय के ज्ञापांक-750 दिनांक-02.02.2016 निर्गत किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० नं०-2835/2016 एवं 2816/2016 में पारित आदेश दिनांक 22.02.2016 द्वारा दिनांक 02.02.2016 के पारित आदेश पर स्थगन आदेश दिया गया है। अतः उक्त आलोक में इस कार्यालय के आदेश-750 दिनांक-02.02.2016 को स्थगित करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक-9077 दिनांक-07.12.2015 द्वारा निर्गत आदेश विलोपित हो जाने के कारण सभी संबंधित आपूर्ति निरीक्षक अपने पूर्ववर्ती मूल स्थान पर योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।


यह आदेश तत्काल रूप से प्रभावी होगा।


(पंकज कुमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-प्र०३मु०२३/२०१५-१३१७

/खाद्य, पटना/दिनांक 23/02/2016

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सभी संबंधित आपूर्ति निरीक्षकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव।